

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी पाली थाना : ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर वर्ष 2022  
प्र.इ.रि.सं. 17/2022 दिनांक 22/01/2022
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारार्यें. 7  
(2) अधिनियम - धाराये -  
(3) अधिनियम - धारायें -  
(4) अन्य अधिनियम व धाराये -
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 531 समय 10.00 Am  
(ब) अपराध के घटने का दिन - शुक्रवार दिनांक-21.01.2022 समय: 11:40 ए.एम.।  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक -20.01.2022 समय.- 12:15 पी.एम.।
4. सूचना किस्म :- लिखित।
5. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- बरुख उत्तर पूर्व ब्यूरो चौकी से करीब 90 किमी।  
(ब) पता :- कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति, बर  
बीट संख्या - जरायमदेही सं-  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना - जिला -
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम :- श्री मांगीलाल  
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री गुलाराम  
(स) जन्म तिथि..... 72 वर्ष।  
(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय  
(द) पासपोर्ट संख्या - जारी होने की तिथि -  
जारी होने की जगह -  
(र) व्यवसाय :- खेती  
(ल) पता:- निवासी रेल मगरा बर, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली।
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
  1. श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपूरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :- शून्य
9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) -
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :- ---
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :- ---
12. (प्रोसूोरि की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) :- ---

8

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
पाली प्रथम।

विषय : रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम माली निवासी रेल मगरा बर जिला पाली का रहने वाला हूँ मैंने ग्राम सेवा सहकारी समिति बर पंचायत समिति रायपुर जिला पाली से कृर्षि ऋण प्राप्त किया था उक्त पेटे दिनांक 25.12.2017 को ब्याज सहित रूपये रूपये 0145626.82 बकाया थे मेरे द्वारा समय समय पर राशि जमा कराने के बाद दिनांक 06.08.2017 को 0145239.99 रूपये बकाया थे दिनांक 08.08.2018 को 50000 रूपये सरकार द्वारा माफ कर दिये थे उक्त दिनांक 26.02.2019 को सरकार द्वारा शेष राशि 95449 रूपये भी माफ कर दिये थे अब मेरे ऋण पेटे कोई राशि बकाया नहीं है दिनांक 17.11.2021 को श्री शकूर खां तेली व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर से मिला व मैंने एक प्रार्थना पत्र मेरी हिस्सा राशि 11700 रूपये दिलवाने हेतु श्री शकूर खां को पेश किया जिसपर श्री शकूर खां ने मुझे कहा की आपके ऋण राशि करीब 145626.82 रु सरकार द्वारा माफ किये है उक्त राशि का दस प्रतिशत करीब 15000 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी मैं मेरे जायज काम के बदले 15000/ रूपये रिश्वत में श्री शकूर खां व्यवस्थापक को नहीं देना चाहता हू। श्री शकूर खां को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरे व शकूर खां तेली व्यवस्थापक के बीच कोई रूपयो पैसो का लेन देन नहीं है ना ही मेरी कोई रंजिश है रिपोर्ट पेश करता हू कानूनी कार्यवाही करावे।

संलग्न : ऋण सम्बंधि दस्तावेज की फोटो प्रतियां नई

धन्यवाद

हस्ताक्षर

श्री अर्जुनसिंह गवाह : 21.01.2022

श्री इन्द्रदास गवाह : 21.01.2022

हस्ताक्षर

प्रार्थी

( श्री मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम, जाति माली, उम्र  
72 वर्ष, निवासी रेल मगरा बर, मोबाईल नं0

9214893866

दिनांक 20.01.2022 )

हस्ताक्षर

20.01.2022

नरपत चंद,

Adsp Acb पाली

४



इस समय परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम, जाति माली, उम्र 72 वर्ष, निवासी रेल मगरा बर, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली मोबाईल नं० 9214893866 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय पाली ने मन् नरपतचन्द, अति० पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मैंने ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली से कृषि ऋण प्राप्त किया था, उक्त ऋण पेटे दिनांक 25.12.2017 को ब्याज सहित 1,45,626.82 रुपये बकाया थे। मेरे द्वारा समय-समय पर राशि जमा कराने के बाद दिनांक 06.08.2018 को 1,45,239.99 रुपये बकाया थे। दिनांक 08.08.2018 को 50,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिये थे तथा दिनांक 26.02.2019 को राज्य सरकार द्वारा शेष राशि 95,449 रुपये भी माफ कर दिये थे। अब मेरे ऋण पेटे कोई राशि बकाया नहीं है। दिनांक 17.11.2021 को श्री शकुर खां तेली, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, जिला पाली से मिला व मैंने एक प्रार्थना पत्र मेरी हिस्सा राशि 11,700 रुपये दिलवाने हेतु श्री शकुर खां को पेश किया। जिस पर श्री शकुर खां ने मुझे कहा कि आपके ऋण पेटे राशि करीब 1,45,626.82 रुपये राज्य सरकार द्वारा माफ किये हैं, उक्त राशि का दस प्रतिशत करीब 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री शकुर खां व्यवस्थापक को 15,000 रुपये रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व श्री शकुर खां को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री शकुर खां तेली व्यवस्थापक में मध्य कोई रूपयों पैसों का लेन-देन बकाया नहीं है न ही कोई आपसी रंजिश आदि हैं। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावे।

परिवादी श्री मांगीलाल ने उक्त रिपोर्ट अपने मिलने वाले से लिखवाना, रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने रिपोर्ट के सलग्न ऋण आहरण एवं ऋण माफी से सम्बंधित स्वयं द्वारा स्वः प्रमाणित प्रतियां एवं आधार कार्ड की हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी श्री मांगीलाल ने स्वेच्छा से यह भी बताया कि श्री शकुर खां व्यवस्थापक मेरे से रिश्वत राशि बाबत वार्तालाप ग्राम सेवा सहकारी समिति में नहीं करेगा, क्योंकि वहां हर समय अन्य कोई न कोई व्यक्ति उपस्थित रहते हैं, और उनके सामने वह रिश्वत राशि के सम्बंध में कोई वार्तालाप नहीं करते हैं, रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्तालाप वह अपने मोबाईल पर ही करते हैं। आज मैं उनसे उनके मोबाईल पर वार्ता करता हूँ तो वह मेरे से मोबाईल पर वार्ता कर लेंगे।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 20.01.2022 समय 01.45 पी०एम० पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी में से डिजीटल टेप रिकार्ड निकालकर टेप रिकार्डर में कोई वार्ता रिकॉर्ड नहीं होना सुनिश्चित किया गया तथा परिवादी के बताये अनुसार परिवादी श्री मांगीलाल के मोबाईल नम्बर 9214893866 से श्री शकुर खां व्यवस्थापक के मोबाईल नम्बर 9571463633 पर कॉल कर फोन का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। मोबाईल वार्तालाप के दौरान रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने तथा रिश्वती राशि लेन-देन कल दिनांक 21.01.2022 को तय होने से परिवादी श्री मांगीलाल को रिश्वती राशि 15,000 रुपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 21.01.2022 को सुबह करीब 10:00 बजे मिडवे आरटीडीसी मोटल बर के सामने उपस्थित मिलने की हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 20.01.2022 को ही ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से तहसीलदार, पाली के नाम तहरीर श्री

✓



नरेन्द्र चौधरी, कानि० को देकर दो स्वतन्त्र गवाहान तलब किये जो उपस्थित आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम अर्जुनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, जाति सिरवी, उम्र 35 वर्ष, निवासी कंवरो भंवरो का वास वडेर चौक बिलाड़ा, जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय पाली, तथा इन्द्रदास पुत्र श्री सुखदास, जाति बावरी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सुमानी कॉलेज रोड़, डा० भीमराव अम्बेडकर स्कूल के पास, अशोक नगर चानन्दा भाखर जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली चक-1, तहसील व जिला पाली बताया। जिसपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहन को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराते हुऐ कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुऐ कल दिनांक 21.01.2022 को प्रातः 08.00 ए०एम० पर भ्र०नि०ब्यूरो कार्यालय पाली में उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा ब्यूरो में उपस्थित स्टाफ को भी कल दिनांक 21.01.2022 को प्रातः 08.00 ए०एम० भ्र०नि०ब्यूरो कार्यालय पाली में उपस्थित आने की हिदायत दी गई।

दिनांक 21.01.2022 को समय 08.00 ए०एम० पर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री अर्जुनसिंह वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय पाली व श्री इन्द्रदास पटवारी पटवार मण्डल पाली चक-1 एवं ब्यूरो जाब्ता कार्यालय पाली में उपस्थित आये। जिसपर समय 08:45 ए०एम० पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन श्री अर्जुनसिंह व श्री इन्द्रदास मय ब्यूरो जाब्ता श्री किशनसिंह हैड कानि० नं० 92, श्री मोहनलाल हैड कानि० नं० 93,, श्री हनुमानसिंह कानि० नं० 427, श्री यशपालसिंह कानि० नं० 429, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि० नं० 286 मय दो डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री कागज की एक पुडिया में फिनोफ्थलीन पाउडर इत्यादि के जरिये सरकारी वाहन टवेरा नं० आर०जे० 14 यूसी 8902 मय चालक श्री अभय कुमार हैड कानि०/झा नं० 09 एवं निजी वाहक के भ्र०नि०ब्यूरो पाली से बर के लिये रवाना हुऐ।

इसी रोज समय 10:00 ए०एम० पर उपरोक्त रवाना शुदा मिडवे आरटीडीसी मोटल बर पर पहुँचे। जिसके सामने परिवादी श्री मांगीलाल उपस्थित मिला जिसको हमराहा लेकर मिडवे आरटीडीसी मोटल बर परिसर में प्रवेश कर एकांत में स्थित एक रूम खुलवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी कमरे में पहुँचे जंहा पर हमराह स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री मांगीलाल का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन रिकार्डिंग वार्ता को भी सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। समय अभाव के कारण रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात इसी रोज समय 10:25 ए.एम. पर मन् नरपतचन्द अति० पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि०ब्यूरो पाली ने परिवादी श्री मांगीलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000 रुपये पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री मांगीलाल ने अपनी जेब में से 500-500 रुपये के 30 नोट कुल 15,000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मन् नरपतचन्द, अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न लिखित है :-

1.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	वी डब्ल्यू	895845
2.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	जी एन	631630
3.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	एफ बी	950575

5



4.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	डी जी	037437
5.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	ए ए	363965
6.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	एल के	472797
7.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	क्यू एच	320285
8.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	सी टी	733136
9.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	एस एस	559468
10.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	डब्ल्यू एल	600814
11.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	टी सी	206300
12.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	वी बी	088660
13.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	यू बी	546042
14.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	ई डब्ल्यू	216983
15.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	यू यू	892792
16.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	एम एन	744484
17.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	के एन	666673
18.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	आर एन	440002
19.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	ए एच	915805
20.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	एच एम	367779
21.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	ई एच	835652
22.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	आर आर	078539
23.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	टी पी	861459
24.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	एन यू	076355
25.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	ई एल	098503
26.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	के टी	321387
27.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	यू टी	193613
28.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	एफ ए	541794
29.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	ए एच	827086
30.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	एन यू	822552

उक्त 15,000 रुपये के नोटों पर साथ लाये कागज की पुडियां में फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखकर उक्त रिश्वती राशि पर श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. से हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मांगीलाल की जामा तलाशी गवाह श्री अर्जुनसिंह वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई। परिवादी श्री मांगीलाल के पास कोई राशि अथवा दस्तावेज नहीं रहने देते हुए परिवादी का मोबाईल फोन नं. 9214893866 उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटों को फिनोफ्थलीन लगाने वाले श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. से परिवादी के पहने हुए कमीज के उपरी बाई जेब में रखवाये गये।

तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन-देन के उपरान्त अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। परिवादी श्री मांगीलाल को यह भी हिदायत दी गई कि रास्ते में इन नोटों के हाथ नहीं लगावें तथा आरोपी श्री शकुर खां, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही देवे तथा इस बात का भी ध्यान रखे कि वह रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् किस स्थान पर रखता है अथवा छुपाता है। इसके बाद कांच के एक साफ

✓



गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया गया तो उक्त घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसे सभी हाजरीन ने स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियां डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। उपस्थित दोनों गवाहान एवं परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर का दृष्टांत देकर समझाईश की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट घोल की प्रक्रिया के बारे में भलीभांती समझाया गया। उक्त घोल को बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त कागज की पुडियां एवं अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था को श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. से जलवाकर नष्ट करवाया गया। दृष्टांत में प्रयुक्त कांच की गिलास व चम्मच को श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. से साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ भी साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये एवं ट्रेप कार्यवाही के उपयोग हेतु दूसरी नई गिलास, चम्मच इत्यादि को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढकर सुनाई गई। सुन-समझ सही होना स्वीकार कर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात इसी रोज समय 11:20 ए.एम. पर फिनाफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. को साथ लाये अन्य डिजिटल टेप रिकॉर्डर एवं दृष्टांत में प्रयुक्त गिलास, चम्मच सुपूरुद कर रास-बाबरा की तरफ आवश्यक निर्देश देकर बाद कार्यवाही एसीबी कार्यालय पहुंचकर रिपोर्ट देने की हिदायत देकर रवाना किया तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन श्री अर्जुनसिंह वरिष्ठ सहायक व श्री इन्द्रदास पटवारी, परिवादी श्री मांगीलाल मय ब्यूरो जाब्ला श्री किशनसिंह मु.आ., श्री मोहनलाल मु.आ., श्री हनुमानसिंह कानि., श्री यशपालसिंह कानि., मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये निजी कार व सरकारी कार से मिडवे आरटीडीसी मोटल बर से ग्राम सेवा सहकारी समिति, बर की तरफ रवाना होकर समय 11:30 ए.एम. पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बर के समीप पहुंच परिवादी श्री मांगीलाल को रिश्वत राशि आरोपी को देने हेतु रवाना करने से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करने की पुनः हिदायत दी गई तथा कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री मांगीलाल को आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर को रिश्वत राशि देने हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति बर की तरफ रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के ग्राम सेवा सहकारी समिति बर के इर्द-गिर्द अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

दिनांक 21.01.2022 को समय 11:40 ए.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल ने अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फिराकर ईशारा किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ला के ग्राम सेवा सहकारी समिति बर के बाहर मुख्य द्वार के आगे पहुंचे जहां पर परिवादी खड़ा मिला। जिसपर परिवादी श्री मांगीलाल से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर में अपने कक्ष में बैठा जिसने अभी-अभी मेरे से जमा हिस्सा राशि एवं एनओसी देने की एवज में 15000/- रुपये लिये हैं जिन्होंने गिनकर अपनी पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिसपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एसीबी दल परिवादी श्री मांगीलाल को साथ लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय में प्रवेश हुये जहां तीन व्यक्ति बैठे मिल। जिसपर परिवादी श्री मांगीलाल ने कांच के बने केबिन में सामने बैठ व्यक्ति

४



की तरफ ईशारा कर कहा की यह ही श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर है जिन्होंने मेरी जमा हिस्सा राशि एवं एनओसी देने की एवज में 15000/- रुपये लिये है जो इन्होंने गिनकर अपनी पहनी पेंट के आगे की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति बर कार्यालय में कांच के कक्ष में बैठ व्यक्ति से परिचय पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपुरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली होना बताया। जिसपर आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर को रूबरू गवाह परिवादी श्री मांगीलाल से रिश्वत राशि 15000/- रुपये लेने के बारे में पुछा तो आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ने परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को प्रस्तुत किया गया हिस्सा राशि लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि श्री मांगीलाल ने वर्ष 2015-16 में बकाया ऋण जमा करवाया था उस समय श्री दामोदरलाल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति बर ने दबाव बनाकर 15000/- रुपये कम लेने हेतु कहा जिसपर मैंने 15000/- रुपये अपनी जेब से मिलाकर श्री मांगीलाल का सम्पूर्ण ऋण जमा कर जमा की रसीद काटकर श्री मांगीलाल को दे दी थी। मैं वर्ष 2015-16 से श्री मांगीलाल से 15000/- रुपये मांग रहा था जिसने आज मुझे दिये है। जिसपर पास ही खड़े परिवादी श्री मांगीलाल ने आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि श्री शकूर खां व्यवस्थापक झुठ बोल रहे है यह मेरे से कोई रुपये नहीं मांगते है इन्होंने मेरे से मेरी जमा हिस्सा राशि एवं एनओसी देने की एवज में 15000/- रुपये मांग जो आज इन्होंने लिये है। इस पर आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक निरुत्तर रहे। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थन पत्र तहवील एसीबी लेकर उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर चलाकर सुना तो रिश्वत राशि का आदान-प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी।

तत्पश्चात् हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में साफ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के दाहिने हाथ की अंगुलिया डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क आर.एच-1 एवं आर.एच-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् उक्त तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेटयुक्त रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के बांये हाथ की अंगुलिया डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग भी गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क एल. एच-1 एवं एल.एच-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक की जामा तलाशी निष्पक्ष गवाह श्री अर्जुनसिंह वरिष्ठ सहायक से लिवायी गई तो श्री शकूर खां व्यवस्थापक के पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में 500-500 रुपये के नोटों की एक गड़डी पायी गई। उक्त राशि निष्पक्ष गवाह से गिनवायी गई तो 500-500 रुपये के कुल 30 नोट कुल 15000 रुपये पाये गये। निष्पक्ष गवाह श्री इन्द्रदास पटवारी को इस प्रकरण से सम्बंधित फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि देकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में अंकित नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि



15,000 रुपये एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत तहवील एसीबी लिये गये। जमा तलाशी के दौरान आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के शर्ट की जेब में 1555/- रुपये एवं सेमसंग कम्पनी का मोबाईल मिला। उक्त राशि के बारे में आरोपी से पूछा गया तो इन्होंने उक्त राशि अपने खर्चे के होना बताया जिसपर उक्त 1555/- रुपये एवं बन्द हालत में सेमसंग कम्पनी का मोबाईल श्री शकूर खां व्यवस्थापक को सुपुर्द किये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के पहनी हुई पेंट का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पहने हेतु एक लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाकर पेंट की दाहिनी जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एक अन्य कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई को उल्टाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को भी कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर प्रकरण का विवरण लिखकर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया जाकर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वक्त वाका पहनी पेंट की जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत तहवील एसीबी ली गई। तत्पश्चात आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक को परिवादी श्री मांगीलाल की खाता बही मांगी गई जिसपर आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ने बताया कि श्री मांगीलाल का खाता जिस बही में है वह बही लम्बे समय से पीसीसीबी शाखा रायपुर में जमा होना बताया। ट्रेप कार्यवाही से संबधित सूचना एवं कार्यवाही से संबधित हालात ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात इसी रोज समय 1:15 पी.एम.पर श्री गणपतलाल कार्यवाहक शाखा प्रबंधक दी पाली सेन्ट्रल कॉऑपरेटिव बैंक शाखा रायपुर को जरिये दूरभाष परिवादी श्री मांगीलाल की खाता बही की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। तत्पश्चात इसी रोज समय 1:20 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल एवं आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के मध्य दिनांक 20.01.2022 को मोबाईल पर हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी. डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई।

तत्पश्चात वक्त 2:30 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल एवं आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन की रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये

✓



गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को भी मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई। तत्पश्चात इसी रोज वक्त 03.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता रिकार्डिंग हेतु कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त किये गये मैमोरी कार्ड को टेप रिकार्डर से बाहर निकालकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात इसी रोज वक्त 4:00 पी.एम. पर आरोपी श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपुरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक को गिरफ्तारी के कारणों व आधारों की पूर्ण सूचना दी जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली करते हुए गिरफ्तारी की सूचना इनके कहेनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति बर में उपस्थित रहे श्री सुरेश कुमार सेल्समैन को दी जाकर आरोपी की जामा तलाशी में मिली राशि 1555/- रुपये श्री सुरेश कुमार सेल्समैन को सुपुर्द की गई एवं मोबाईल जब्त किया गया। सूचना प्राप्तकर्ता को मन ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.01.2022 को वक्त 4:15 पी.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल की निशादेही से रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर जाकर शामिल पत्रावली की जाकर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक का चिकित्सक परीक्षण एवं कोविड-19 टेस्ट करवाना आवश्यक होने से चिकित्साधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर के नाम की तहरीर देकर श्री शकूर खां व्यवस्थापक को ब्यूरो जाब्ता श्री किशनसिंह हैड कानि., श्री हनुमानसिंह कानि को सुपुर्द कर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री अभय कुमार के रवाना किया। इसी रोज वक्त 05:30 पी.एम. पर श्री गणपतलाल कार्यवाहक शाखा प्रबंधक दी पाली सेन्ट्रल कॉऑपरेटिव बैंक शाखा रायपुर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री मांगीलाल के खाता सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो जरिये फर्द तहवील एसीबी लिये गये। दिनांक 21.01.2022 को वक्त 06:15 पी.एम. पर हैड कानि० श्री किशनसिंह मय ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आये एवं हैड कानि० श्री किशनसिंह ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति बर से रवाना होकर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर पहुँच, आरोपी का मेडीकल मुआयना एवं कोविड-19 परीक्षण करवाया गया जिसपर आरोपी स्वस्थ होना पाया गया। हैड कानि श्री किशनसिंह ने मेडीकल रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन कर शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात इसी रोज वक्त 06:45 पी.एम. पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बर के कार्यालय में आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक के कक्ष की खाना तलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी के नियमानुसार ली जाकर विस्तृत विवरण फर्द खाना तलाशी में अंकित किये जाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गई।

इस प्रकार संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम माली निवासी रेल मगरा, बर, पुलिस थाना रायपुर जिला पाली के ग्राम सेवा सहकारी समिति बर पंचायत समिति रायपुर जिला पाली में जमा हिस्सा राशि देने एवं एनओसी देने की एवज में आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर द्वारा दिनांक 20.01.2022 को मोबाईल पर हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई जिसमें

8



मांग सत्यापन के दौरान 15000/- रुपये की मांग करना, दिनांक 21.01.2022 को परिवादी श्री मांगीलाल से उसके उपरोक्त कार्य की एवज में तय रिश्वत राशि दौरान रिश्वत राशि लेन-देन 15,000 रुपये परिवादी से लेकर आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर द्वारा अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखना, उक्त राशि वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शकूर खां व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर की पहनी पेंट की जेब से बरामद होना, आरोपी के दाहिने एवं बायें हाथ की अंगुलियों का धोवन गुलाबी तथा आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन गुलाबी आना, परिवादी का हिस्सा राशि देने का प्रार्थना पत्र वक्त कार्यवाही आरोपी से बरामद होना आदि कृत्य से आरोपी श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपूरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली के विरुद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कारित करना प्रमाणित पाया जाने पर विस्तृत अनुसंधान का निर्णय लिया जाना उचित रहेगा।

अतः आरोपी श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपूरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।




( नरपत चंद )

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
पाली



कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित, अभियुक्त श्री शकूर खां, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली के विरुद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 17/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 139-42 दिनांक 22.1.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल बर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि./प्रशासक, बर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।